GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2593
TO BE ANSWERED ON 16TH MARCH, 2026

RESETTLEMENT AND EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN

2593 SHRI RAJINDER GUPTA:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether steps have been taken for resettlement, rehabilitation and livelihood generation of ex-servicemen and the details thereof;

(b) the number of ex-servicemen registered with the Directorate General Resettlement during the last five years, year-wise and State/UT-wise;

(c) the number assisted under DGR employment and self-employment schemes during the said period, scheme-wise and year-wise, along with funds allocated and utilised;

(d) whether reservation and preferential absorption for ex-servicemen exist in Government jobs, the details thereof; and

(e) the number of ex-servicemen appointed in Government jobs during the last five years and the steps proposed to address any backlog?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) The Government has several schemes relating to resettlement, rehabilitation and livelihood generation for the welfare of ex-servicemen and their dependents. The Directorate General Resettlement (DGR), under the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence, implements a range of resettlement schemes to facilitate gainful employment and self-employment of Ex-Servicemen (ESM) from all three Services. Details of schemes run by DGR is annexed as **Annexure-I**.

(b) and (c) The year-wise number of ex-servicemen registered with the Directorate General Resettlement (DGR) and the details of funds allocated and utilised are annexed as **Annexure-II**.

(d) and (e) The reservation and preferential absorption for ex-servicemen exist in Government jobs are as follows : 10% vacancies in the posts upto the level of Assistant Commandant in Central Para Military Forces; 10% vacancies in Group ‘C’ posts and 20% vacancies in Group ‘D’ posts in Central Govt. Ministries/Departments; 14.5% vacancies in Group ‘C’ and 24.5% vacancies in Group ‘D’ posts in Central Public Sector Undertakings (CPSUs) and Public Sector Banks.

…2/-

(Including 4.5% for Disabled ESM and dependents of Service personnel killed in action); 100% in Defence Security Corps. Government mandates CPSUs, Corporate Houses, Private Sector Undertakings to hire security guards only from DGR empaneled / sponsored ESM Security Agencies, and State ESM Corporations on Pan India basis spread across rural as well as urban areas .The number of Ex-servicemen appointed in Government jobs during the last five years is 11,555. DGR conducts periodic meetings with the Liaison Officers nominated by Ministries/ Deptts and collects, compile and analyse data on ESM representation in various Central Govt Deptts/ Ministries to diminish the backlog.

*****

ANNEXURE –I REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2593 TO BE ANSWERED ON 16.03.2026 REGARDING RESETTLEMENT AND EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN

Details of the schemes run by DGR

(i) **DGR Sponsored Security Agency Scheme:** The DGR empanels / sponsors ESM run Private Security Agencies, and State ESM Corporations for providing security guards to various CPSEs and any Corporate Houses, Private Sector Undertakings as requisitioned.

(ii) **DGR Technical Service Scheme:** DGR provides Ex-servicemen manpower for 'Technical Services' to the Government Est/ Complexes through empanelled State ESM Corporations. This scheme has been recently introduced.

(iii) **ESM Coal Loading And Transportation Scheme (Officers only):** The Scheme is administered on the basis of MoU between the Coal India Ltd (CIL) and DGR. Presently the scheme is under revival.

(iv) **Coal Tipper Attachment Scheme for ESM(For JCOs/OR):** This scheme is linked with the ESM Coal loading and transportation scheme.

(v) **Tipper Attachment Scheme for Widows and Disabled Soldiers:** Widows upto age of 65 and disabled soldiers having 50% or more disability are eligible to enrol for this scheme. This scheme is linked with the ESM Coal loading and transportation scheme.

(vi) **Issue of DGR Eligibility Certificate for Allotment of LPG/ Retail Outlet (Petrol/ Diesel) Distributorship advertised by Oil Marketing Companies against 8% Reservation Quota:** ESM including War widows/ dependents of those who died in war, war disabled/disabled on duty while serving in operational area, widows/ dependents of those who died in harness due to attributable or aggravated causes to Military Service and ex-servicemen disabled in peace due to attributable or aggravated causes to Military Service are eligible for the scheme.

(vii) **Management of Company Owned Company Operated Retail Outlets:** Willing ESM (Officers) and JCOs who has not availed any other Govt/DGR benefit are sponsored for the COCO based on Oil Company's requisition for further selection by Oil Company.

(vii) **Management of IGL/ MNGL CNG Stations By ESM In NCR/Pune:** Desirous ESM registered in the scheme are sponsored on receipt of requisition from IGL (New Delhi and NCR region) & MNGL (Pune/Nashik).

(ix) **Allotment Of Mother Dairy Milk Booths And Fruit & Vegetable (Safal) Shops In NCR:** The ESM are registered for Milk / Safal (Fruit and Vegetable) booths separately till the age of 60 years. They operate these outlets and earn their livelihood / learn entrepreneurship with respect to business.

…4/-

(x) **Incorporation of Ex-Servicemen in Pradhn Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojna (PMBJP) Scheme:** The Government of India Scheme, Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojna (PMBJP), aims at establishing nation-wide Generic Medicine pharmacies for providing cheaper medicines to all. The scheme was launched by DGR in collaboration with PMBI in June 2023.

(xi) **Resettlement Training/ Skill Development Courses:** Training Directorate at DGR is responsible for organizing and conducting Resettlement / Skill Development Training Courses for retiring/retired personnel of Indian Armed Forces to enhance their skill level for smooth transition and suitable employment in civil street.

(1) **For Officers** - 60% Course fee is paid by MoD/ DGR while 40% is paid by each individual officer. Widows of officers are also eligible to undergo above courses.

(2) **For JCOs/OR & Equivalent -** 100% Course fee is paid by MoD/ DGR. Widows of JCOs/OR are eligible to undergo DGR sponsored courses.

…5/-

ANNEXURE-II REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) and (c) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2593 TO BE ANSWERED ON 16.03.2026 REGARDING RESETTLEMENT AND EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN

Details of ESM registered and sponsored for Govt sponsored re-settlement schemes are as under:-

Sl.	Scheme	2021	2022	2023	2024	2025
(a)	Security Agency Empanelled. Number of ESM Sponsored	932 34338	732 32240	750 48525	848 48691	714 43143
(b)	ESM & Widows/ Disabled ESM attached in ESM Coal Companies.	(JCOs/OR- 00) (Widows /Disabled ESM - 20)	Nil	(JCOs/ OR- 12) (Widows /Disabled ESM - 16)	Nil	Nil
(c)	Management of CNG	39	47	66	16	20
(d)	COCO Scheme (For BPCL/ IOCL/ HPCL)	20	47	138	259	432
(e)	Issue of Eligibility Certificates for allotment Oil Product Agencies	07	01	44	11	03

(f)	Mother Dairy Milk Booths/Safal Booth	536 565	835 605	553 495	627 404	648 260
(g)	ESM Placement by DGR (Emp Dte)	25528	8974	3388	2891	2616
(h)	Provision of Technical Service by ESM Manpower / Agencies Sponsored By DGR	211	56	313	268	450
(i)	Issue of 'Eligibility Certificates- for PMBJP	-	-	02	09	14

Details of funds allocated and utilised

Financial Year (F.Y.)	Funds allocated (In Rs. Cr)	Funds utilised (In Rs. Cr)
2021-22	6.80	6.77
2022-23	29.48	18.05
2023-24	27.19	27.02
2024-25	33.80	33.77
2025-26	60.80	56.07 (As on 28.02.2026)

*****

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2593

16 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

पूर्व सैनिकों का पुनर्वास और रोजगार

2593. श्री राजिन्दर गुप्ताः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, पुनर्स्थापन और आजीविका सृजन के लिए कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय के पास पंजीकृत पूर्व सैनिकों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान डीजीआर की रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वालों की योजना-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है, तथा इसके लिए कितनी निधियां आवंटित और उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण और वरीयतापूर्ण नियुक्ति की व्यवस्था है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी नौकरियों में नियुक्त किए गए पूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है और किसी भी बैकलॉग को पूरा करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पुनर्वास, पुनर्स्थापन और आजीविका सृजन से संबंधित कई सरकारी योजनाएं हैं। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को लाभप्रद

रोजगार और स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए कई प्रकार की पुनर्वास योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। डीजीआर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) में पंजीकृत पूर्व सैनिकों की वर्ष-वार संख्या तथा आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए मौजूद आरक्षण और वरीयतापूर्ण नियुक्ति की व्यवस्था निम्नानुसार है: केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट स्तर तक के पदों में 10**%** रिक्तियां**;** केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ग्रुप **'**सी**'** पदों में 10**%** रिक्तियां और ग्रुप **'**डी**'** पदों में 20**%** रिक्तियां**;** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक-क्षेत्र के बैंकों में ग्रुप **'**सी**'** पदों में 14.5**%** रिक्तियां और ग्रुप **'**डी**'** पदों में 24.5**%** रिक्तियां (दिव्यांग ईएसएम और सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए सेवाकर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5**%** सहित)**;** रक्षा सुरक्षा कोर में 100**%** रिक्तियां। सरकार सीपीएसयू, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित डीजीआर पैनलबद्ध/प्रायोजित ईएसएम सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों से ही सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करने के लिए अधिदेशित करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी नौकरियों में नियुक्त पूर्व सैनिकों की संख्या 11,555 है। डीजीआर, मंत्रालयों/विभागों द्वारा नामित संपर्क अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है और बैकलॉग को कम करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में ईएसएम प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ों का एकत्रण, संकलन और विश्लेषण करता है।

*****

"पूर्व सैनिकों का पुनर्वास और रोजगार" के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2593 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

<u>**डीजीआर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण**</u>

(i) **डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना:** डीजीआर विभिन्न सीपीएसई और किसी भी कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए ईएसएम द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों को सूचीबद्ध/प्रायोजित करता है।

(ii) **डीजीआर तकनीकी सेवा योजना**: डीजीआर, सूचीबद्ध राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी स्थापना/परिसर को 'तकनीकी सेवाओं' के लिए भूतपूर्व सैनिकों के रूप में जनशक्ति प्रदान करता है। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है।

(iii) **ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना (केवल अधिकारियों के लिए)**: यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर चलाई जाती है। अभी यह योजना फिर से शुरू हो रही है।

(iv) **ईएसएम के लिए कोल टिप्पर अटैचमेंट योजना (जेसीओ/ओआर के लिए)**: यह योजना ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना से जुड़ी है।

(v) **विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए टिप्पर अटैचमेंट योजना**: 65 वर्ष तक की विधवाएं और 50**%** या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले सैनिक इस योजना में नामांकन करने के लिए पात्र हैं। यह योजना ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना से जुड़ी है।

(vi) **तेल विपणन कंपनियों द्वारा 8% आरक्षण कोटे के अंतर्गत विज्ञापित एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना**: ईएसएम, जिनमें युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं/आश्रित, युद्ध में दिव्यांग हुए/संक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते समय दिव्यांग हुए सैनिक, सैन्य सेवा पर आरोप्य अथवा उसके कारण बड़े गंभीर कारणों से शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं/आश्रित और सैन्य सेवा पर आरोप्य अथवा उसके कारण बड़े गंभीर कारणों से शांतिकाल में दिव्यांग हुए पूर्व सैनिक शामिल हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।

(vii) **कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट्स का प्रबंधन**: इच्छुक ईएसएम (अधिकारी) और जेसीओ, जिन्होंने कोई अन्य सरकारी/डीजीआर लाभ नहीं लिया

है, को तेल कंपनी द्वारा की गई मांग के आधार पर सीओसीओ के लिए प्रायोजित किया जाता है, ताकि तेल कंपनी भविष्य में उनका चयन कर सके।

(viii) **एनसीआर/पुणे में ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन:** इस योजना में पंजीकृत इच्छुक ईएसएम को आईजीएल (नई दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र) और एमएनजीएल (पुणे/नासिक) से मांग प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है।

(ix) **एनसीआर में मदर डेयरी मिल्क बूथ और फल व सब्जी (सफल) की दुकानों का आवंटन**: ईएसएम को 60 वर्ष की आयु तक अलग से मिल्क / सफल (फल और सब्जी) बूथ के लिए पंजीकृत किया जाता है। वे इन आउटलेट्स का संचालन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं / व्यवसाय के बारे में उद्यमिता सीखते हैं।

(x) **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना में भूतपूर्व-सैनिकों को शामिल करना**: भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का उद्देश्य सभी को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए पूरे देश में जेनेरिक मेडिसिन फॉर्मेसी खोलना है। यह योजना डीजीआर ने पीएमबीआई के साथ मिलकर जून 2023 में शुरू की थी।

(xi) **पुनर्वास प्रशिक्षण / कौशल विकास पाठ्यक्रम:** डीजीआर में प्रशिक्षण निदेशालय, भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन और संचालन के लिए उत्तरदायी है, ताकि असैनिक क्षेत्र में सुचारू पारगमन और उपयुक्त रोजगार के लिए उनके कौशल स्तर को बढ़ाया जा सके।

(1) **अधिकारियों के लिए** - 60**%** पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है, जबकि 40**%** का भुगतान प्रत्येक अधिकारी द्वारा किया जाता है। अधिकारियों की विधवाएं भी ऊपर दिए गए पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।

(2) **जेसीओ/ओआर और समकक्ष के लिए** - 100**%** पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है। जेसीओ/ओआर की विधवाएं, डीजीआर प्रायोजित पाठ्यक्रम हेतु पात्र हैं।

"पूर्व सैनिकों का पुनर्वास और रोजगार" के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2593 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्वास योजनाओं के लिए पंजीकृत और प्रायोजित ईएसएम का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्रम.	योजना	2021	2022	2023	2024	2025
(क)	पैनल में शामिल सिक्योरिटी एजेंसी प्रायोजित ईएसएम की संख्या	932 34338	732 32240	750 48525	848 48691	714 43143
(ख)	ईएसएम और विधवाएं/विकलांग ईएसएम जो ईएसएम कोयला कंपनियों से जुड़े हैं।	(जेसीओ/ ओआर- 00) (विधवा/ विकलांग ईएसएम- 20)	शून्य	(जेसीओ/ ओआर- 12) (विधवाएं/ विकलांग ईएसएम- 16)	शून्य	शून्य
(ग)	सीएनजी का प्रबंधन	39	47	66	16	20
(घ)	सीओसीओ योजना (बीपीसीएल/आईओसीएल/एचपीसीएल के लिए)	20	47	138	259	432
(ङ)	तेल उत्पाद एजेंसियों को आवंटन के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना	07	01	44	11	03

(च)	मदर डेयरी मिल्क बूथ/सफल बूथ	536 565	835 605	553 495	627 404	648 260
(छ)	डीजीआर (रोजगार निदेशालय) द्वारा ईएसएम प्लेसमेंट	25528	8974	3388	2891	2616
(ज)	ईएसएम मैनपावर / डीजीआर द्वारा प्रायोजित एजेंसियों द्वारा तकनीकी सेवाओं का प्रावधान	211	56	313	268	450
(झ)	पीएमबीजेपी के लिए 'पात्रता प्रमाण पत्र' जारी करना	-	-	02	09	14

आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण

वित्तीय वर्ष (एफ.वाई.)	आवंटित धनराशि (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
2021-22	6.80	6.77
2022-23	29.48	18.05
2023-24	27.19	27.02
2024-25	33.80	33.77
2025-26	60.80	56.07 (28.02.2026 के अनुसार)

*****